


## परिचय

उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि करने, कम्प्यूटराईजेशन, प्रशिक्षण एवं आधुनिक कार्यप्रणाली के तहत अपराध/अपराधियों की जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त आपराधिक रिकार्ड (डेटा) को सुरक्षित रखने का कार्य राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा किया जाता है जिसका गठन महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की स्वीकृति के पश्चात सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 832/XX(8)2017-11(44)2006 दिनांक- 03 अगस्त 2017 के द्वारा किया गया है। राज्य अपराध ब्यूरो के गठन के साथ ही फिंगरप्रिंट ब्यूरो को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में समाहित कर दिया गया है वर्तमान में फिंगरप्रिंट से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं मिलान का कार्य भी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है।

### उद्देश्य:-

- राज्य के अपराध एवं अपराधियों के रिकार्ड / आंकड़े तैयार करना।
- अपराधियों का आपराधिक इतिहास जनपदों एवं न्यायालय को प्रेषित करना।
- राज्य अपराध ब्यूरो द्वारा राज्य में समस्त अपराधों के सांख्यिकीय डेटा एकत्र कर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली को नियमित (मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक) रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।
- 'क्राइम इन इंडिया' एवं एक्सीडेंटल एंड सुसाईड इन इण्डिया की वार्षिक पुस्तक के प्रकाशन हेतु रिपोर्ट तैयार कर NCRB नई दिल्ली को सूचना प्रेषित करना।
- जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर प्रशिक्षण कराना।
- जनपदों की DCRB के साथ समन्वय कर मार्गदर्शन करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत करना।

### राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की शाखाएँ



## प्रशिक्षण

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार **CAS** (Core Application Software), **AFIS**(Automated Fingerprint Identification System), **CII**(Crime in India), **FICN**(Fake Indian Currency),**ICJS**(Interoperable Criminal Justices System), **ITSSO**(Investigation Tracking System for Sexual Offences) तथा Zip-Net का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

## क्राइम इन इण्डिया

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा प्रति कैलेण्डर वर्ष के अन्त में क्राइम इन इण्डिया का डेटा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली को भेजा जाता है जिसकी निम्न व्यापक जानकारी शामिल है –

1. पंजीकरण मामले और उनका निस्तारण ।
2. गिरफ्तार व्यक्ति और उनका निस्तारण ।

रिपोर्ट में अलग-अलग अध्यायों में पुलिस कर्मियों एवं हिरासत अपराधियों के खिलाफ शिकायतों पर जानकारी के साथ साइबर अपराधों, मानव तस्करी, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, पर्यावरण से सम्बन्धित अपराधों और पुलिस द्वारा हथियारों और ड्रग्स की जब्तियों के सम्बन्ध में भी सूचना का प्रकाशन किया जाता है।

## सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम)

राज्य पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि करने हेतु **सी0सी0टी0एन0एस0** (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का मिशन मोड प्रोजेक्ट है पुलिस की कार्य प्रणाली को नागरिक हितेशी एवं थानों की कार्य प्रणाली को स्वचलित कर पारदर्शी बनाना है। सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट पुलिस की कार्य प्रणाली में व्यापक, एकीकृत एवं आधुनिकरण की अवधारणा है ताकि देशभर के पुलिस संगठन और इकाइयों को वास्तविक समय में अपराध एवं अपराधियों की जाँच पड़ताल करने एवं जानकारी साझा कर अपराधियों को पकड़ने का सिस्टम तैयार किया जा सके।

सीसीटीएनएस भारत सरकार का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट को 19.06.2009 में मन्त्रिमंडलीय समिति भारत सरकार के द्वारा परियोजना को पारित किया गया। पुलिस थाना, जिला, राज्य स्तर तथा गृह मंत्रालय को अपराध एवं अपराधियों का रिकार्ड एवं सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना है।

## फिंगर प्रिन्ट

राज्य फिंगर प्रिन्ट इकाई के द्वारा केन्द्रीय फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के निदेशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं फिंगर प्रिन्ट से सम्बन्ध में विवेचना में एक्सपर्ट ओपिनियन प्रदान की जाती है।

राज्य फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में विवादित दस्तावेज से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की जाँच की जाती है तथा दस्तावेजों के मिलान की रिपोर्ट को न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत न्यायालय में मान्य है।

## सिटीजन पोर्टल/ मोबाईल एप

नागरिकों की सुविधा हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा- निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड राज्य में सिटीजन पोर्टल मोबाईल एप तैयार किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं (शिकायत, गुमशुदा व्यक्ति, खोयी सम्पत्ति, पीजी/किरायेदार सत्यापन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट) आदि नागरिकों के उपयोग हेतु प्रदान की गयी है। जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति/ पीडित अपनी शिकायत किसी भी स्थान से सम्बन्धित पुलिस थाने में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के पश्चात् प्राप्त शिकायत संख्या से अपनी शिकायत/ सत्यापन का स्टेट्स जाँच/चैक कर सकते हैं, एवं व्यू/डाउनलोड एफ.आई.आर. सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं।

सिटीजन पोर्टल में आने वाली समस्त शिकायतों एवं सत्यापन की रिपोर्ट CAS Software के माध्यम से प्राप्त करते हुये नियमित उच्चाधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है, शिकायतों एवं सत्यापन के निस्तारण की मासिक सूचना तैयार कर एन.सी.आर.बी.को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।

## राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की कार्यप्रणाली

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के कार्यों को आसान बनाने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक एस0सी0आर0बी0 के निर्देशन एवं प्रभारी एससीआरबी के पर्यवेक्षण में विभिन्न अनुभागों द्वारा कार्य सम्पादित किये जाते हैं। जिनका विवरण निम्नवत है:-

- दैनिक, पाक्षिक, मासिक एवं वार्षिक अपराध आख्याओं का संकलन कर सम्बन्धित उच्चाधिकारियों एवं राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो भारत सरकार को संप्रेषण किया जाना।
- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किये जाने वाले क्राइम इन इण्डिया हेतु राज्य के अपराधिक आंकड़ों व अन्य विषयक सामाग्री उपलब्ध कराया जाना।

- सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) जिसके द्वारा पुलिस थाने एव उच्च स्तर पर अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित सूचना को कम्प्यूटरीकृत किये जाने सम्बन्धित समस्त कार्य ।
- राज्य के जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो मे कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के निर्देशो एवं उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमो को सम्पादित किया जाना ।
- प्रदेश मे खोयापाया नम्बरी वस्तुओ के अभिलेख का रखरखाव,अज्ञात शवों एवं चोरी/पाये व्यक्तियों तत्सम्बन्धि पत्र व्यवहार का कार्य (वाहन समन्वय, तलाश सॉफ्टवेयर,जिपनेट सॉफ्टवेयर) से सम्बन्धित सूचना को ऑनलाईन किये जाने सम्बन्धित कार्य ।
- राज्य मे सीसीटीएनएस से सम्बन्धित समस्त कार्य एस0सी0आर0बी0 के द्वारा सम्पन्न किये जा रहे है प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है जिसमे डी0सी0आर0बी0 से सीसीटीएनएस एवं प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य नियमित रूप से प्रचलित रहते है ।
- जनपदो की डी0सी0आर0बी0 को कोआर्डिनेट व निर्देशित एवं सहयोग करना ।
- राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा शासन नारकोटिक सेल, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो,सी0बी0आई0 एवं पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा वांछनिय आख्या (मासिक त्रैमासिक,अर्द्धवार्षिक वार्षिक) उपलब्ध कराना ।

## एस0सी0आर0बी0 मे निर्धारित पदों का विवरण

पद नाम	स्वीकृत	उपलब्धता	रिक्तता
निरीक्षक	3	1	2
उप-निरीक्षक	5	5	0
मुख्य आरक्षी	5	2	3
आरक्षी	12	7	5
कुल पद	25	15	10